


उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या: 689 /26-3-2023
लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी 2023

निदेशक, समाज कल्याण/
निदेशक जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं
प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश-1950, संविधान (अनुसूचित जनजातियां)
(उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के क्रम में (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां)
(द्वितीय संशोधन) एक्ट 2022 दिनांक-24.12.2022 द्वारा किये गये संशोधन के सम्बन्ध में
जारी किये गये शासनादेश संख्या-Computer No:1690967 File No:26-
3099/100/2023/ 676 /26-3-2023 दिनांक 24-2-2023 की प्रति संलग्न कर
इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि कृपया उक्त शासनादेश को सर्वसंबंधित को अपने स्तर
से प्रेषित करने/प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।


(संजीव रत्न मालवीय)
अनुभाग अधिकारी।

प्रेषक,
डॉ० हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र०शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4-समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक २५ फरवरी 2023

विषय: संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश-1950, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के क्रम में (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) (द्वितीय संशोधन) एक्ट 2022 दिनांक-24.12.2022 द्वारा किये गये संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-12026/35/2013-सी एण्ड एलएम-पार्ट(1)(ई-23009), दिनांक-20.01.2023 द्वारा यह संसूचित किया गया है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश-1950, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के क्रम में (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) एक्ट 2022 दिनांक-24.12.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश में 'गोंड' (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सन्दर्भ में निम्नवत संशोधन किया गया है:-

"In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (C.O.19), in the Schedule, in PART XVIII.-Uttar Pradesh, in entry 36, for the words "Mirzapur and Sonbhadra", the words "Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi" shall be substituted."

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप सम्प्रति जनपद-मिर्जापुर एवं सोनभद्र के अतिरिक्त 04 अन्य जनपदों-जनपद-संतकबीरनगर, कुशीनगर, चन्दौली एवं भदोही में निवासरत 'गोंड' (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) जाति के व्यक्तियों को भी विद्यमान सुसंगत शासनादेशों के आलोक में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by हरिओम

Date: 24-02-2023 12:34:02

(डॉ० हरिओम)
Reason: Approved
प्रमुख सचिव।